लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *179
30 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकरों को राजसहायता

***179. प्रो. सौगत राय:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कच्चे माल पर वर्तमान राजसहायता की अपेक्षा तैयार उत्पाद के समुचित रूप से विधिमान्य होने पर हथकरघा बुनकरों को राजसहायता प्रदान करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की कोई योजना भारत में हथकरघा क्षेत्र को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के समान विकिसत करने/बेहतर बनाने के लिए विशेष पैकेज कार्यान्वित करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 30.07.2021 को लोक सभा के लिए नियत तारंकित प्रश्न सं. *179 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): हथकरघा बुनकरों को तैयार उत्पादों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए हथकरघा एजेंसियों को प्रोत्साहित करने हेतु, वस्त्र मंत्रालय के पास विपणन प्रोत्साहन (एमआई) योजना है, जो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) का एक उप-घटक है। हथकरघा उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश करने और उत्पादकता में सुधार के लिए पूरे देश में हथकरघा एजेंसियां एमआई के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ): हथकरघा क्षेत्र असंगठित, ग्रामीण-केंद्रित और पारंपरिक प्रकृति का है। हथकरघा बुनकरों के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए निम्नलिखित नई पहल की है:-

i. हथकरघा क्षेत्र की सहायता करने तथा हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु बुनकरों को सरकारी ई-मार्केट प्लेस(जेम) पर ऑन बोर्ड करने संबंधी कदम उठाये गये हैं जिससे वे अपने उत्पाद सीधे विभिन्न सरकारी विभागों को बेचने में सक्षम हो सकें। अब तक लगभग 1.5 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है।

ii. उत्पादकता, विपणन क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न राज्यों में 125 हथकरघा निर्माता कंपनियां बनाई गई हैं।

iii. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत, ऋण राशि के 20% पर मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम 10,000/- रूपए प्रति बुनकर की शर्त के अधीन, 7% तक ब्याज सबवेंशन और तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी दी जाती है।

iv. निफ्ट के माध्यम से बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में डिजाइन रिसोर्स सेंटर (डीआरसी) स्थापित किए गए हैं, ताकि हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिजाइन कोषों के लाभ की सुविधा मिल सके।

v. हथकरघा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन कर रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान, वर्चुअल मोड में 12 हथकरघा मेलों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, बुनकरों के लिए अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री हेतु देश के विभिन्न हिस्सों में 53 घरेलू विपणन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में हथकरघा के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है:

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, कच्चे माल, उन्नत करघे और सामान की खरीद, डिज़ाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढाँचे का विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग इकाइयों, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों का विपणन, रियायती दरों पर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

***